न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 22/19 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का खलीफे की बावड़ी

बनाम

गैरसायल

श्री हुसैन पुत्र आदम
जाति मुसलमान निवासी पाबुसरी
तहसील गड़रारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु.। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खलीफे की बावड़ी ने रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम खलीफे की बावड़ी के खसरा नंम्बर 143 रकबा 16-10 वीघा में से 15 वीघा किस्म गै.मु. राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरियें नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोपित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्पिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पच्चास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख खलीफे की बावड़ी को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 18.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड़

जुर्माना 50 फसल नि. 1650.00
कुल योग 1700/- जि.के पृष्ठ सं. 25
वर्ष 2019-20 मे इन्द्राज किया गया :

तहसील राजस्व लेखाकार